# ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS AND SUPPLEMENTARY QUESTIONS AND ANSWERS THEREON

# GOVERNMENT OF INDIA

# MINISTRY OF JAL SHAKTI

# DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT & GANGA

# REJUVENATION

# **RAJYA SABHA**

# **STARRED QUESTION NO. \*1**

#### ANSWERED ON 22.07.2024

# PROJECTS TO IMPROVE AND INCREASE GROUNDWATER LEVEL

#### \*1 SHRI KESRIDEVSINH JHALA

Will the Minister of JAL SHAKTI be pleased to state:

(a) whether there is any project to improve groundwater level in the country, if so, the details thereof;

(b) whether there is any plan to deepen water bodies such as lakes/dams/ reservoirs so as to increase the water storage capacity;

(c) whether Government is updating the technology to clean rivers and water bodies; and

(d) if so, the details thereof?

#### ANSWER

# THE MINISTER OF JAL SHAKTI

(SHRI C R PAATIL)

(a) to (d) : A statement is laid on the Table of the House.

# STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF STARRED QUESTION NO. \*1 TO BE ANSWERED ON 22.07.2024 IN RAJYA SABHA REGARDING "PROJECTS TO IMPROVE AND INCREASE GROUNDWATER LEVEL"

(a) Water being a State subject, the issues related to development, regulation and management of ground water is primarily the responsibility of the state governments. The Central Government provides technical support and financial assistance through its institutions and various centrally sponsored schemes. In this regard, the Ministry of Jal Shakti(MoJS) is implementing several projects and schemes to continuously monitor and improve the ground water levels in the country whose brief outline is given below.

The Central Ground Water Board (CGWB) is implementing 'Ground Water Management & Regulation Scheme' (GWM &R) under which National Aquifer Mapping and Management Programme (NAQUIM) has been implemented. Under NAQUIM all the mappable areas of the country (~25 lakh sq km) have been covered and suitable scientific groundwater management plans at the block and district levels have been prepared and shared with the State Governments for implementation.

Master Plan for Artificial Recharge to Groundwater- 2020 has been prepared by CGWB in consultation with States/UTs which is a macro level plan indicating various structures for the different terrain conditions of the country. The Master Plan envisages construction of about 1.42 crore Rain water harvesting and artificial recharge structures in the country to harness 185 Billion Cubic Meters (BCM) of water.

Additionally, CGWB has taken up several demonstrative projects for construction of artificial recharge structures like Bridge cum Bandhara (BCB) at five locations in Maharashtra, works in selected Aspirational Districts, works in identified water stressed areas of Rajasthan comprising Jodhpur, Jaisalmer & Sikar districts etc.

MoJS is implementing Jal Shakti Abhiyan (JSA) since 2019 in the country in which special emphasis is being given for rainwater harvesting(RWH) / groundwater recharge. The 5th edition of JSA for 2024-25 with theme 'Nari Shakti se Jal Shakti' has been launched by the ministry in March 2024. JSA is implemented through local convergence of various schemes and funds and some of the major interventions undertaken under the Abhiyan include construction and repair of rainwater harvesting structures including rooftop & water conservation structures. Activities also include construction and desilting of existing water bodies like ponds, tanks etc. with an aim to augment storage capacity to reduce the groundwater stress.

MoJS is also implementing Atal Bhujal Yojana in select 80 water-stressed districts in identified 7 states, intending to improve the ground water levels and to ensure sustainable management of groundwater resources with community participation.

Department of Agriculture & Farmers' Welfare (DA & FW) is implementing Per Drop More Crop Scheme since 2015-16, which focuses on enhancing water use efficiency at farm level through Micro Irrigation. Under this centrally sponsored scheme, so far an area of 83.49 lakh hectare has been covered under Micro Irrigation in the country.

For sustainable management of ground water resources in urban areas, Ministry of Housing & Urban Affairs(MoHUA) has come up with Shallow Aquifer Management(SAM) project, to explore and showcase different ways in which shallow aquifers can be rejuvenated in order to augment the overall water security of cities. Various initiatives like revival of heritage wells, injection borewells, percolation beds, recharge shafts etc. were taken up in select 10 cities resulting in visible improvement in ground water situation in the project areas.

Moreover, The Central Ground Water Authority (CGWA) is working as the nodal agency for regulation and control of groundwater extraction in the country with an aim to discourage unbridled ground water extraction and ensuring sustainable ground water regime.

In addition to the above, the Government of India has taken several other significant initiatives for the improvement of groundwater situation in the country which can be seen through link belowhttps://jalshakti-dowr.gov.in/document/steps-taken-by-the-central-government-to-control-waterdepletion-and-promote-rain-water-harvesting-conservation/

Similarly, several State Governments have initiated their own schemes targeting overall water resource improvement and management. Pani Bachao Paisa Kamao by Punjab, Mera Pani, Meri Virasat by Haryana, Mission Kakatiya by Telangana, Jal Jeevan Hariyali Yojana by Bihar, Jalyukt Shibar by Maharashtra, Sujalam Sufalam by Gujarat are few examples.

(**b**) Concerning deepening/rejuvenating the water bodies for increasing the storage capacity, Mission Amrit Sarovar was launched by the Government of India which aimed at developing and rejuvenating at least 75 water bodies in each district of the country. As an outcome nearly 69,000 Amrit Sarovars have been constructed/ rejuvenated.

Centrally sponsored scheme "Repair, Renovation & Restoration (RRR) of Water Bodies (WBs)" is a component of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) – Har Khet Ko Pani (HKKP) being implemented by Ministry of Jal Shakti under which works like cleaning of traditional water bodies is taken up.

Dam Rehabilitation and Improvement Project (DRIP) Phase-I implemented during 2012-2021 had provision for need-based de-siltation of few reservoirs to restore their lost capacity to the extent possible. Currently, the DRIP Phase II and III scheme (2021-2031) is being implemented wherein too provision has been made for need based de-siltation of the reservoirs.

Ministry of Housing & Urban Affairs is currently implementing Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) 2.0 Scheme under which Rejuvenation of water bodies and wells in urban areas is one of the main components. Mission promotes water source conservation, recycle/ reuse of treated used water, by involving community at large.

Under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), works relating to Natural Resource Management (NRM) which include water conservation and water harvesting structures to augment and improve ground water are taken up. Large scale desiltation projects for traditional water bodies, rejuvenation of river stretches etc. have been conducted by various state governments under the Scheme.

(c) & (d) The Ministry is constantly exploring and harnessing new technologies for cleaning of rivers and water bodies. Under the Namami Gange programme of the Ministry, various innovative and new technologies have been adopted based on regulatory requirements and site conditions. The following are some of the important technologies being employed:

- i. Multi-storey Sewage Treatment Plants (STPs):
- ii. Nature-based sewage treatment using Constructed Wetlands
- iii. Packaged Sewage Treatment Plant 'Johkasou':
- iv. Advance Oxidation Process (AOP):
- v. Electrocoagulation:
- vi. Mandatory Tertiary Treatment by filtration and disinfection to achieve the stringent norms for river revival.

\*\*\*\*

# भारत सरकार

# जल शक्ति मंत्रालय

# जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

### राज्य सभा

# तारांकित प्रश्न संख्या 1

# जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।

•••••

# भूजल स्तर को बढ़ाने हेत् परियोजनाएं

1. श्री केसरीदेवसिंह झाला:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या देश में भूजल स्तर में सुधार करने के लिए कोई परियोजना मौजूद है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या झीलों/बाँधों/जलाशयों जैसे जल निकायों को गहरा करने की कोई योजना है ताकि
  जल भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सके;
- (ग) क्या सरकार नदियों और जलाशयों को साफ करने संबंधी प्रौद्योगिकी को आधुनिक बना रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

- जल शक्ति मंत्री (श्री सी. आर. पाटील)
- (क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*

"भूजल स्तर में सुधार और वृद्धि करने के लिए परियोजनाएं" के संबंध में दिनांक 22.07.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या \*01 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): जल राज्य का विषय होने के कारण, भूजल के विकास, विनियमन और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे मुख्यत: राज्य सरकारों का दायित्व होता है। केन्द्र सरकार अपनी संस्थाओं और विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस संबंध में, जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) देश में भूजल स्तर की निरंतर निगरानी करने और उसमें सुधार करने के लिए कई परियोजनाओं और योजनाओं को लागू कर रहा है जिसकी संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी गई है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) 'भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना' (जीडब्ल्यूएम एवं आर) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके तहत राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) लागू किया गया है। एनएक्यूआईएम के तहत देश के सभी मानचित्रण योग्य क्षेत्रों (~ 25 लाख वर्ग किमी) को कवर किया गया है और ब्लॉक और जिला स्तरों पर उपयुक्त वैज्ञानिक भूजल प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं और कार्यान्वयन के लिए उन्हें राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।

भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से सीजीडब्ल्यूबी द्वारा तैयार किया गया है जो देश की विभिन्न भू-भाग स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को दर्शाने वाली एक वृहद स्तरीय योजना है। मास्टर प्लान में 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) जल उपयोग के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी ने कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए कई पथ-दर्शक परियोजनाएं शुरू की हैं जैसेकि- महाराष्ट्र में पांच स्थानों पर पुल-सह-बंधारा (बीसीबी) , जो कि चयनित आकांक्षी जिलों- जोधपुर, जैसलमेर और सीकर जिलों आदि सहित राजस्थान के अभिज्ञात जल की कमी वाले क्षेत्रों में चल रही है।

जल शक्ति मंत्रालय देश में वर्ष 2019 से जल शक्ति अभियान (जेएसए) लागू कर रहा है जिसमें वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच)/भूजल पुनर्भरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा मार्च 2024 में 'नारी शक्ति से जल शक्ति' विषय के साथ वर्ष 2024-25 के लिए जल शक्ति अभियान का 5वां संस्करण लॉन्च किया गया है। जल शक्ति अभियान को विभिन्न योजनाओं और निधियों के स्थानीय अभिसरण के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और इस अभियान के तहत किए गए कुछ प्रमुख कार्यकलापों में छत और जल संरक्षण संरचनाओं सहित वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और मरम्मत कार्य करना शामिल है। इन गतिविधियों में भूजल की हो रही कमी को कम करने के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तालाबों, टैंकों आदि जैसे मौजूदा जल निकायों का निर्माण और गाद निकालना भी शामिल है।

7

जल शक्ति मंत्रालय भूजल स्तर में सुधार लाने और सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के इरादे से चिन्हित किये गए 7 राज्यों के चुनिंदा 80 जल-संकटग्रस्त जिलों में अटल भूजल योजना भी लागू कर रहा है।

कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए और एफडब्ल्यू) वर्ष 2015-16 से "प्रति बूँद अधिक फसल" योजना लागू कर रहा है, जो सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत देश में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत अब तक 83.49 लाख हैक्टेयर क्षेत्र भूमि को कवर किया गया है।

शहरी क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने उथले जलभृत प्रबंधन (एसएएम) परियोजना का सुझाव दिया है, ताकि उन सभी पद्धतियों का पता लगाया जा सके और उन्हें दर्शाया जा सके जिसमें शहरों की समग्र जल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उथले जलभृतों का कायाकल्प किया जा सकता है। चयनित 10 शहरों में विरासती कुओं का पुनरुद्धार, इंजेक्शन बोरवेल, परकोलेशन बेड, रिचार्ज शाफ्ट आदि जैसी विभिन्न पहल की गईं हैं जिनके परिणामस्वरूप, परियोजना क्षेत्रों में साफ़ तौर पर भूजल की स्थिति में सुधार देखा गया है।

इसके अलावा, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) देश में भूजल निष्कर्षण के विनियमन और नियंत्रण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य बेतहाशा भूजल निष्कर्षण को रोकना और एक स्थायी भूजल व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

उपरोक्त के अलावा, भारत सरकार ने देश में भूजल की स्थिति में सुधार के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण पहल की हैं जिन्हें नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है-

https://jalshakti-dowr.gov.in/document/steps-taken-by-the-central-government-tocontrol-water-depletion-and-promote-rain-water-harvesting-conservation/

इसी प्रकार, कई राज्य सरकारों ने समग्र जल संसाधन सुधार और प्रबंधन को लक्ष्य रखते हुए अपनी स्कीमें शुरू की हैं। जिनमें पंजाब द्वारा "पानी बचाओ पैसा कमाओ", हरियाणा द्वारा "मेरा पानी, मेरी विरासत", तेलंगाना द्वारा "मिशन काकतिया", बिहार द्वारा "जल जीवन हरियाली योजना", महाराष्ट्र द्वारा "जलयुक्त शिविर", गुजरात द्वारा "सुजलाम सुफलाम" जैसे कुछ उदाहरण शामिल हैं।

(ख): भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए जल निकायों को गहरा करने/पुनर्जीवित करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और नवीकरण कार्य करना है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का निर्माण/कायाकल्प किया गया है।

केंद्र प्रायोजित योजना "जल निकायों (डब्ल्यूबी) की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुधार (आरआरआर)" जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही जो कि, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - हर खेत को पानी (एचकेकेपी) का एक घटक है जिसके तहत पारंपरिक जल निकायों की सफाई जैसे कार्य किए जाते हैं। वर्ष 2012-2021 के दौरान कार्यान्वित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप) चरण-। में कुछ जलाशयों की समाप्त हुई क्षमता को यथासंभव बहाल करने के लिए आवश्यकता के अनुसार उनमें से गाद निकालने का प्रावधान था। इस समय, ड्रिप चरण ॥ और ॥ योजना (2021-2031) लागू की जा रही है, जिसमें जलाशयों की आवश्यकता के आधार पर गाद निकालने के लिए भी प्रावधान किया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इस समय कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (अमृत) 2.0 योजना हेतु अटल मिशन को लागू कर रहा है जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में जल निकायों और कुओं के कायाकल्प का कार्य उसके मुख्य घटकों में से एक है। यह मिशन बड़े पैमाने पर समुदाय को शामिल करते हुऐ जल स्रोत संरक्षण, उपचारित उपयोग किए गए जल के कार्य को पुनर्चक्रण/पुनउपयोग के कार्य को बढ़ावा देता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) से संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं जिनमें भूजल के संवर्धन और सुधार के लिए जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाएं बाने का कार्य शामिल है। इस योजना के तहत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पारंपरिक जल निकायों से बड़े पैमाने पर गाद निकालने, नदी के मार्ग-विशिष्ट-हिस्सों का कायाकल्प आदि का कार्य किया गया है।

(ग) और (घ): यह मंत्रालय नदियों और जल निकायों की सफाई के लिए लगातार नई प्रौद्योगिकियों की खोज और उनका उपयोग कर रहा है। मंत्रालय के नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, नियामक आवश्यकताओं और साइट स्थितियों के आधार पर विभिन्न नवीन और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया है। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों को अपनाया जा रहा है:

बह्मंजिला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी):

- ii. निर्मित आर्द्रभूमि का उपयोग करके प्रकृति आधारित सीवेज उपचार
- iii. पैकेज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 'जोहकासौ':
- iv. अग्रिम ऑक्सीकरण प्रक्रिया (एओपी):

v. इलेक्ट्रोकोएग्यूलेशन:

vi. नदी पुनरुद्धार के लिए सख्त मानदंडों को पूरा करने हेतु फिल्ट्रेशन और डिसइन्फेक्शन द्वारा किए जाने वाले अनिवार्य तृतीयक उपचार।

\*\*\*\*

SHRI KESRIDEVSINH JHALA: Sir, would the hon. Minister of Jal Shakti be pleased to state as to what specific new technologies, innovations and pilot projects are being implemented to enhance the cleaning of rivers and water bodies and also to improve the groundwater level and its management?

श्री सी. आर. पाटिल : माननीय सभापति जी, पूरी दुनिया की सभी टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग हमारी सरकार कर रही है। मंत्रालय की ओर से यह टेक्नोलॉजी हर स्टेट को दी गई है और उसका उपयोग करते हुए सभी नदियों को साफ रखने के लिए काम किए गए हैं। जो भी पानी पीने के लिए जाए, वह पीने लायक हो, उसके लिए पूरी कोशिश मंत्रालय की ओर से की गई है। इसका परिणाम भी हमें देखने को मिला है। जो आरोग्यवर्धक पानी की मुश्किलें थीं, जो प्रॉब्लम्स थीं, वे भी सॉल्व होने लगी हैं और पानी की शिकायतों का नम्बर भी नीचे गया है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Kesridevsinh Jhala.

SHRI KESRIDEVSINH JHALA: Sir, I come from the State of Gujarat, which is a raindeficit State. I would like to ask the hon. Minister if there are any schemes and projects that are in the planning stage besides the projects that are already functioning in the State of Gujarat.

श्री सी. आर. पाटिल: माननीय सभापति जी, गुजरात के अंदर एक समय था जब पानी की कमी थी। मगर माननीय प्रधान मंत्री जी, जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे तब उसी टाइम उन्होंने पूरी प्लानिंग करते हुए काम किया था, जिसकी वजह से आज गुजरात के हर गांव में पानी पहुंच रहा है। वहां पर पीने के लिए भी पानी पहुंच रहा है और नर्मदा योजना से एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है, उन सबको पानी मिल रहा है। इसके कारण किसानों को भी बहुत फायदा हुआ है। वे वहां पर तीन-तीन फसल ले रहे हैं और इसके कारण वहां पर सभी किसान समृद्ध हुए हैं। इन सभी योजनाओं से कृषि को पानी मिल रहा है और पीने के लिए भी पानी मिल रहा है। कच्छ के बॉर्डर तक पानी देने का काम भी आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने, जब वे मुख्य मंत्री थे, तब किया था। उसके कारण बॉर्डर पर सुरक्षा में लगे हमारे जवानों को भी पीने के लिए शुद्ध पानी मिल रहा है।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary, Shrimati Jaya Amitabh Bachchan.

श्रीमती जया अमिताभ बद्यनः सर, माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य के सवाल का जवाब नहीं दिया, जबकि गुजरात से ये भी आते हैं और वे भी आते हैं। सवाल में पूछा गया कि यह कमी है, लेकिन वे कह रहे हैं कि सब कुछ हो गया।

श्री सभापतिः मैडम, आप क्वेश्चन पूछिए।

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: Sir, I am a bit confused. I expected clarification from the hon. Minister. I am a bit confused.

MR. CHAIRMAN: I can't agree. You can never be confused.

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: Sir, I am.

MR. CHAIRMAN: You are not.

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: Sir, Mr. Jhala comes from Gujarat. The Minister also is saying that प्रधान मंत्री ने, जब वे मुख्य मंत्री थे, सब कुछ कर दिया, then, why is Mr. Jhala complaining?

MR. CHAIRMAN: Please put your supplementary. You will get a good answer.

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: Sir, I want to know. I am confused. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Madam, please put your supplementary. ...(Interruptions)...

श्री नीरज शेखर : यह जवाब देश के लिए है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती जया अमिताभ बच्चनः क्या है? ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Madam, please put your supplementary. ... (Interruptions)...

श्री नीरज शेखर : देश को तो बताना पड़ेगा। ...(व्यवधान)... क्या मंत्री जी जवाब भी न दें! ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Neeraj ji, please. ... (Interruptions)... Sir, please control. ... (Interruptions)...

श्रीमती जया अमिताभ बद्यनः उनके पास सब कुछ है। ...(व्यवधान)... हर सवाल का जवाब है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Leader of the House, please see that there is order. ... (Interruptions)... Let the hon. Member ask the supplementary.

SHRI JAYA AMITABH BACHCHAN: I am really surprised, again confused, that instead of the Minister, other Members are standing and questioning me. सभापति जी, आप यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें नहीं टोकते हैं, पर अगर हमारे यहाँ से कोई खड़ा हो जाएगा, तो बिल्कुल टोक देंगे। This is not fair. I don't expect this from you, Sir.

श्री सभापति : आप एक सेकंड सुनिए। I think I am fair to every Member. Those who got up there know it. I would urge everyone. But when I do it this side, it is more noticed. When I do it that side, it is not noticed. Madam, your supplementary.

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: That is not noticeable, Sir. You correct us more; so, it is noticeable. You don't correct them. So, it is not noticeable. It is as simple as that.

MR. CHAIRMAN: Oh my God!

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: Sir, this is what I want to ask the Minister. What is the mechanism that exists for punishing violation of conditions in the No Objection Certificates of Ground Water Use? Give the details of units assessed as overexploited, as mentioned in the Economic Survey of 2021 and the funds allocated, disbursed and utilised for the replenishment of the same State-wise and UT-wise.

श्री सी. आर. पाटिल : सभापति जी, जया जी के मन में जो कंफ्यूज़न था, उसके लिए मैं उन्हें बताना चाहता हूं वे आज गुजरात के किसी भी गाँव में जाकर देखें, उन्हें वहाँ पर शुद्ध पानी मिल सकता है। वे कृषि की बढ़त की ऑफिशियल फिगर्स भी देख सकती हैं। महोदय, मैं और प्रश्नकर्ता दोनों ही गुजरात से हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं कहा, क्योंकि उन्हें यह लगता कि मैं गुजरात के बारे में बहुत अच्छा बताना चाहता हूं, मगर यह काम अच्छा हुआ है और जिसने अच्छा किया है, उस बात का उल्लेख करना भी जरूरी था, इसीलिए मैंने कहा था। ..(व्यवधान).. सभापति जी, जो नियम बनते हैं, अगर उन नियमों का उल्लंघन होता है, तो कायदे के अनुसार व्यवस्था है।..(व्यवधान)..

PROF. RAM GOPAL YADAV: Sir, this is not the answer to the question of Shrimati Jaya Amitabh Bachchan.

MR. CHAIRMAN: Ram Gopal ji, you are a senior Member.

श्री सी. आर. पाटिल : सभापति जी, जो कानून बने हैं, उनके तहत ही नियम बने हैं। ..(व्यवधान).. उनके पेटा नियम भी बने हैं। ..(व्यवधान).. अगर कोई उनका उल्लंघन करेगा, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। ..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: Jaya *ji*, take your seat. He is replying. ...(*Interruptions*)... Jaya *ji*, take your seat.

श्री सी. आर. पाटिल : जया जी का प्रश्न है कि जो इनका उल्लंघन करेगा, उसे क्या सजा होगी, इसके लिए मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उन नियमों में और पेटा नियम में इस बात का उल्लेख किया गया है। महोदय, हम माननीय सदस्या को उसके बारे में लिखित रूप में भी बता देंगे।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary, Shri Sujeet Kumar.

श्री सुजीत कुमार : सर, भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार ने दो बहुत अच्छी स्कीम्स शुरू की थीं, जो 'अटल भूजल योजना ' और 'मिशन अमृत सरोवर' के नाम से हैं। सभापति जी, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ये जो दो स्कीम्स हैं, क्या इनका कोई ऑडिट हुआ है और इन योजनाओं के चलते भूजल के स्तर में कितना इम्प्यूवमेंट हुआ है?

श्री सी. आर. पाटिल : सभापति जी, जब हमने स्वतंत्रता के 75 साल का अमृत वर्ष मनाया, उसी टाइम हर जिले में करीब 75 अमृत सरोवर बने और हर सरकार, हर राज्य सरकार द्वारा उसकी रिपोर्ट भी भेजी गई। उनके द्वारा सभी कार्यों को पूर्णता दी गई है, हर जगह पूरा काम हुआ है, जिसकी वजह से जल का स्तर भी बहुत अच्छा बढ़ा है। महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि यह योजना बहुत सफल हुई है।

महोदय, उनका जो दूसरा प्रश्न है, जिसमें भूजल की बात है, उस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि इसके लिए अलग-अलग नियम बने हैं, अलग-अलग योजनाएँ बनी हैं। महोदय, इनकी वजह से भी भूजल का स्तर बहुत ऊपर आया हुआ है, लेकिन हमें इन्हें कंटीन्यू रखना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस 'अमृत सरोवर योजना' की वजह से पानी का स्तर ऊपर आया है, उसकी क्वालिटी सुधरी है, उसकी सीओडी, बीओडी में भी बदलाव आया है, मगर महोदय, अगर हम लोग इसे हर साल नहीं करते रहेंगे, तो भूजल का स्तर वापस नीचे जाने की संभावना है। जमीन से पानी न निकालें और मंत्रालय की जो 'कैच दि रेन' योजना है, उसका पालन करें। महोदय, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए मंत्रालय की ओर से बहुत से डिज़ाइन भी बनाए गए हैं, अलग-अलग एनजीओज़ ने भी डिज़ाइन बनाए हैं और उन पर बहुत अच्छा काम गुजरात में भी हो रहा है। एक-एक गाँव में करीब 50-50 बोर बनाकर पानी उतार रहे हैं। ...(व्यवधान)... मैं सबसे विनती करता हूँ कि वे रीचार्ज के लिए भी काम करें। ...(व्यवधान)... MR. CHAIRMAN: Shri Kartikeya Sharma. ... (Interruptions)... Fifth supplementary. ... (Interruptions)...

SHRI KARTIKEYA SHARMA: Mr. Chairman, Sir, I would like to ask from the hon. Minister: What are the steps being taken to increase groundwater recharge mechanisms in the rural parts of India, particularly in the State of Haryana? If so, what are the results achieved so far?

श्री सी. आर. पाटिल : महोदय, यह जो प्रश्न उठाया गया है, मैं उसके संबंध में बताना चाहता हूँ कि सकारात्मक विश्वास के परिणामस्वरूप भूजल में अति दोहित क्षेत्रों में उल्लेखनीय गिरावट आई थी। 2017 से घटकर आज वह 2023 में लगभग 11 परसेंट तक रह गया है, यानी उसमें छः परसेंट का सुधार हुआ है। भूजल सुरक्षित क्षेत्र 63 परसेंट से बढ़कर 73 परसेंट हो गया है। जो डार्क जोन था, उसमें भी कमी आई है। 2019 से प्रत्येक वर्ष 52 से 70 परसेंट तक भूजल निगरानी कुओं में पिछले दशक की तुलना में इस स्तर की वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2019 से 2023 तक मानसून के बाद के मौसम में 85 परसेंट से अधिक निगरानी स्टेशनों पर जल स्तर दस मीटर से कम दिखा है। यह जो योजना बनी है, सभी राज्यों ने उसके ऊपर काम किया है, सभी एनजीओज़ ने काम किया है, सभी लोगों ने काम किया है, उसके कारण यहाँ पर सुधार दिख रहा है। यह अत्यंत आवश्यक है। मंत्रालय यह कर रहा है।

MR. CHAIRMAN: Q. No.2; Shri Neeraj Shekhar. ...(Interruptions)... One second please! ...(Interruptions)... Hon. Members, on a question, five supplementaries are allowed -- two by the hon. Member who raised the Question and three by others. I have allowed all three. ...(Interruptions)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I have also given in writing.

MR. CHAIRMAN: Digvijaya Singhji, everyone has given in writing. I am sorry. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Now, Q. No.2; Shri Neeraj Shekhar.